



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026

पौष 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 259/79-वि-1-2026-1-क-23-2025

लखनऊ, 2 जनवरी, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 जिससे चीनी उद्योग अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 2 जनवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) अधिनियम, 2025 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
22 सन् 1956 का
निरसन

2— उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1956) को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में, दिनांक 13 दिसम्बर, 1960 को दिए गए अपने विनिश्चय में राज्य की विधायी हैसियत से परे और अधिकारातीत घोषित किया गया है।

इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 दिसम्बर, 1960 के विनिश्चय के पश्चात, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 अब अस्तित्व में नहीं है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम का निरसन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह—II,
प्रमुख सचिव।

No. 259 (2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-23-2025
Dated Lucknow, January 2, 2026

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna Upkar (Nirsan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 2, 2026. The Cheeni Udyog Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE CESS (REPEAL) ACT, 2025

(U.P. Act no. 3 of 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane Cess (Repeal) Act, 2025.

2. The Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956 is hereby repealed.

Repeal of U.P. Act
no. 22 of 1956

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956 (U.P. Act no. 22 of 1956) has been declared ultra vires and beyond the legislative capacity of the State by the Honorable Supreme Court, New Delhi in its decision given on December 13, 1960 in Diamond Sugar Mills Limited and Others vs. State of Uttar Pradesh and Others.

Thus, after the decision of the Honorable Supreme Court dated December 13, 1960, the Uttar Pradesh Sugarcane Cess Act, 1956 is no longer in existence.

In view of the above, the aforesaid Act has been decided to be repealed.

The Uttar Pradesh Sugarcane Cess (Repeal) Bill, 2025 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.